दिनांक 04.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 04/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 04.07.2024 को थाना रकाबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली घर चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सतीश उर्फ सेट्टी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतीश उर्फ सेट्टी निवासी तलैया नाला काजीपाडा थाना रकाबगंज कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 04.07.2024 को थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बड़ी मिवाड़ी के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अजय उर्फ बडे को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय उर्फ बडे निवासी मोहल्ला रानीनगर थाना भरथना जनपद इटावा।

जनपद कन्नौज/थाना तिर्वा

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 29 हजार 500 रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 04.07.2024 को थाना तिर्वा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त 1—उमाकान्त 2—रजनीकान्त 3—अनुप कुमार को गिरफ्तार किया गया तथा 02 बालअपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, चोरी के 29 हजार 500 रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 03.07.2024 को थाना तिर्वा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना तिर्वा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तिर्वा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—उमाकान्त निवासी ककलापुर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

2—रजनीकान्त निवासी ककलापुर थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

3–अनुप कुमार निवासी ग्राम अहेर मौरंग मंडी थाना तिर्वा जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 29 हजार 500 रूपये नगद।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सलेमपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03/04.07.2024 की रात्रि थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिट्टा गेट के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–गुलशन घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–आकाश सहित गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गुलशन के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस समबन्ध में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गुलशन निवासी ग्राम अमरपुर थाना अहार जनपद बुलन्दशहर।

2–आकाश निवासी ग्राम भाटोला थाना सैद नगरी जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

<u>कमिश्नरेट वाराणसी/थाना राजातालाब</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 कुन्तल 17 किलोग्राम चोरी के बिजली के तार**
- **घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया, 01 तीन पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 04.07.2024 को थाना राजातालाब पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रिंग रोड अण्डर पास से 05 अभियुक्तों 1–जयचन्द उर्फ पप्पू 2–श्रीकान्त उर्फ मन्ना 3–सत्येन्द्र 4–पिंकू 5–प्रियांशू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 कुन्तल 17 किलोग्राम चोरी के बिजली के तार, घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया, 01 तीन पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29/30.06.2024 को थाना राजातालाब क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना राजातालाब पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद तार चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना राजातालाब पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जयचन्द उर्फ पप्पू निवासी बेसहूपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

2–श्रीकान्त उर्फ मन्ना निवासी ग्राम बेसहूपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

3–सत्येन्द्र निवासी ग्राम खरगूपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

4–पिंकू निवासी ग्राम खरगूपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

5–प्रियांशू निवासी ग्राम मनियारीपुर थाना जंसा कमिश्नरेट वाराणसी।

बरामदगी

1—लगभग 02 कुन्तल 17 किलोग्राम चोरी के बिजली के तार।

2—घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया, 01 तीन पहिया वाहन।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 04.07.2024 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठहैरा मोड के पास से 02 अभियुक्तों 1—लक्की 2—निखिल को गिरफ्तार किया गया एवं दो बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लक्की निवासी 24 फुटा रोड तुलसी विहार कॉलोनी थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2—निखिल निवासी रामवाटिका कॉलोनी थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 10 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना हाफिजपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 08 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 03.07.2024 को थाना हाफिजपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चितौली अण्डरपास के पास से 03 अभियुक्तों 1—अजय

2—माजिद उर्फ चूंहा 3—माजिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 08 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग, अभियुक्त माजिद उर्फ चूंहा के विरूद्ध जनपद बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शाहजहाँपुर, मेरठ के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त माजिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाफिजपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी ग्राम जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

2—माजिद उर्फ चूंहा निवासी ग्राम जिसौरा थाना मुण्डाली जनपद मेरठ।

3—माजिद निवासी ग्राम ललियाना थाना किठौर जनपद मेरठ हालपता—चमन कालोनी इस्लामनगर गली नं0—03 कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—चोरी के 08 दो पहिया वाहन।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

- **कमिश्नरेट वाराणसी/थाना शिवपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना शिवपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोठी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोठी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(ठ) सपठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनीस को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फतेहगढ़/थाना कोतवाली कायमगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहगढ़ द्वारा थाना कोतवाली कायमगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 395 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजेश उर्फ पटेला 2–महेन्द्र उर्फ महेश 3–कालिया उर्फ राकेश उर्फ किशन 4–मनोज उर्फ छोटू 5–विनोद उर्फ छोटू 6–रामवीर को 10–10 वर्ष के कठिन कारावास व 50–50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जौनपुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद जौनपुर पुलिस ने अभियुक्त 1–सलमान 2–फैजान पुत्रगण फिरोज निवासी ग्राम पीठापुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।